



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2006/आषाढ़ 28, 1928

No. 760]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2006/ASADHA 28, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2006

(आयकर)

का.आ. 1136(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला अनुबद्ध प्रोटोकॉल उक्त प्रोटोकॉल के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल के अनुच्छेद V के पैराग्राफ 1 के अनुसार 28 जून, 2006 को प्रवृत्त होगा;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाले उक्त प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों को दिनांक 28 जून, 2006 से भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 186/2006/फा. सं. 506/69/81-एफ टी डी-1]

डी. पी. सेन गुप्ता, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और

जापान सरकार के बीच दिनांक 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करने के इरादे से हैं (इसके बाद “उक्त अभिसमय” के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश को संदत्त करने वाली कम्पनी एक निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितग्राही स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के उपबंध उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेंगे जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं।

अनुच्छेद II

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उद्भूत होता है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ऐसे ब्याज का हितग्राही स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

अनुच्छेद III

अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. तथापि, ऐसी रॉयल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन जिनमें ये उद्भूत होते हैं किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रॉयल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का हितग्राही स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर रॉयल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

अनुच्छेद IV

अभिसमय के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) को विलोपित किया जाएगा।

अनुच्छेद V

1. यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राज्य की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन को दर्शाने वाली राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान की तारीख के उपरान्त तीसवें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. यह प्रोटोकॉल लागू होगा :

(क) जापान में :

(i) स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में :

(कक) उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, की प्रथम जुलाई को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि प्रोटोकॉल किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई के पूर्व प्रवृत्त हुआ हो;

अथवा

(खख) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, की प्रथम जनवरी को अथवा उसके बाद कराधेय धनराशि के लिए, यदि उक्त प्रोटोकॉल किसी कैलेण्डर वर्ष के 30 जून के उपरान्त प्रवृत्त होता है; और

(ii) आय पर कर जो स्रोत पर नहीं रोका गया हो, के सम्बन्ध में, उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ हो, की प्रथम जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष की आय के सम्बन्ध में; और

(ख) भारत में :

(i) स्रोत पर रोके गए करों के सम्बन्ध में, उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हो, की प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद संदत्त अथवा क्रेडिट की गई धनराशि के सम्बन्ध में,

और

(ii) उस कैलेंडर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ हो, के प्रथम अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में।

3. यह प्रोटोकॉल अभिसमय के प्रवृत्त रहने तक प्रभावी रहेगा।

उनकी सम्बद्ध सरकारों द्वारा उनके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी के साक्ष्य में यह प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया है।

यह टोक्यो में आज दिनांक 24 फरवरी, 2006 को हिन्दी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है, इनमें से प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। व्याख्याओं में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

जापान सरकार

की ओर से

ह./-

(एम. एल. त्रिपाठी)

ह./-

(तारो आसो)